Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to implement NRC in the country.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं । आप बहुत समय तक यूनाइटेड बिहार में रहे हैं । मेरा गोड्डा इलाका है और मैं यहां से सांसद हूं । गोड्डा, देवघर, पाकुड़, साहबगंज, जामताड़ा और दुमका, इसी से सटे हुए बिहार के जिले हैं, भागलपुर, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले हैं । पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद इत्यादि जिले बांग्लादेशी घुसपैठियों से ग्रसित हैं । इन सारे जिलों की आबादी की पूरी डेमोग्राफी दिन-प्रतिदिन चेंज होती जा रही है । वर्ष 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था तो पाकुड़ जिले की आबादी, अगर आप अल्पसंख्यक के आधार पर देखेंगे तो मात्र 35-36 परसेंट थी । मुझे बोलने में सुविधा इसलिए भी है कि आप उन सारे जिलों को मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते हैं । आज वह कम से कम 63 से 65 प्रतिशत है । यह किसी सैक्युलरज्मि का सवाल नहीं है । मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको हिंदू और मुसलमान के दायरे में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है । जो इस देश में हैं, चाहे वे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, वे सभी यहां के नागरिक हैं और जितना अधिकार हिंदुओं को है, उतना ही अधिकार मुसलमानों को है, उतना ही अधिकार सिखksa को है । लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं, जो बंग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो बंग्लादेश के लोग हैं, इसी कारण से असम सरकार ने जिस तरह से एनआरसी लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस एनआरसी में भी काफी बदलाव की आवश्यकता है । आप उस कमेटी के अध्यक्ष थे । सिटिजन अमेंडमेंट बिल, यह सरकार ले कर आ रही है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि पूरे देश भर में एनआरसी लागू होना है । एनआरसी यदि लागू नहीं होगा तो हमारे लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, संथाल परगना का, बिहार के लोगों का रोजगार छीना जा रहा है ।

हमारे यहां एनआरसी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए । इन्ही शब्दों के साथ जय हिन्द जय भारत ।